प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :15.09.2025

आदेश पारित किया गया:19.11.2025

दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं 196/2024

राहुल कुमार धुर्वे पिता अनावेदक क्रमांक 3 भद्देलाल धुर्वे उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी कंचनपुर तहसील व जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश।

---आवेदक

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. आम जनता शून्य.
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया शाखा, मुंगेली, जिला मुंगेली,
छत्तीसगढ़, माननीय न्यायालय के दिनांक 15–01–2025 और 17–03–2025 के आदेशानुसार।
3. लल्लाराम पिता स्वर्गीय रामाराव प्रधान उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी कठोतिया पोस्ट डिंडोरी थाना एवं तहसील लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़.

---उत्तरवादीगण

आवेदक हेतु : श्री किशन कुमार यादव, अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी,अधिवक्ता
उत्तरवादीगण हेतु : श्री पंकज सिंह,अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

सी ए वी आदेश

1. इस पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से, आवेदक ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:–

"अत: निवेदन है कि पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए और माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली द्वारा सिविल एमजेसी संख्या 130/2024 में दिनांक 04.11.2024 को पारित आदेश को अपास्त

किया जाए तथा माननीय मुंगेली जिला मुंगेली सी.जी. द्वारा उत्तराधिकार प्रकरण संख्या 09/2021 में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेश को न्याय के हित में यथावत रखा जाए।"

2. आवेदक ने दिनांक 4.11.2024 के आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 3 लल्लाराम द्वारा रंजना देवी प्रधान की मृत्यु के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने और स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान के खाते में जमा की गई 15,00,000/– रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए दायर आवेदन को प्रथम सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, मुंगेली ने अपने दिनांक 10.9.2024 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था और उक्त आदेश के विरुद्ध जब उत्तरवादी संख्या 3 लल्लाराम ने अपील दायर की तो अपील लल्लाराम के पक्ष में स्वीकार कर ली गई और पूरी राशि के लिए लल्लाराम के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान आवेदक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें प्रथम सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, मुंगेली के आदेश को अपास्त करते हुए अपील को स्वीकार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक ने दिनांक 4.11.2024 के आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 3, लल्ला राम द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दायर आवेदन को, रंजना देवी प्रधान की मृत्यु के कारण, उनके खाते में जमा 15,00,000/– रुपये की राशि का दावा करने के लिए, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, मुंगेली द्वारा दिनांक 10.9.2024 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। जब लल्ला राम ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, तो अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि उनके पक्ष में पूरी राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आवेदक ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने वाले अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी।यह तर्क दिया गया कि मृतक के दामाद लल्ला राम इस राशि के हकदार थे; हालांकि, बैंक प्रबंधक ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह दी। विचारण न्यायालय ने तर्क तथा साक्ष्य पर विचार करने के बाद पाया कि आवेदक और उत्तरवादी संख्या 3 दोनों इस राशि के हकदार थे, लेकिन अंततः मृतक द्वारा नामित किए जाने के आधार पर यह राशि उत्तरवादी संख्या 3 को प्रदान की गई। व्यथित लल्ला राम ने अपील की, और अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल नामांकन से ही कोई व्यक्ति संपत्ति का हकदार नहीं हो जाता है, और मृतक के निकट संबंधी होने के नाते भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2)(ख) के तहत वह संपत्ति का

उत्तराधिकारी बनने का हकदार था। विचारण न्यायालय ने केवल संरक्षक, अर्थात नामांकित व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान करने में गलती की है। साक्ष्य से पता चला कि लल्ला राम, मृतक के ससुर होने के नाते, सही उत्तराधिकारी थे, और अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना उचित समझा। पुनरीक्षण न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाई, क्योंकि उसने विधि को उचित ढंग से लागू किया था, साक्ष्यों पर विचार किया था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के तहत स्थापित सिद्धांतों का पालन किया था। तदनुसार, आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है, और अपीलीय न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

4. आवेदक ने निवेदन किया कि मृतक रंजना देवी प्रधान के दामाद, जो कंचनपुर गांव में महिला चिकित्सा प्रतिनिधि के पद पर तैनात थे, के बैंक ऑफ इंडिया, मुंगेली में खाता संख्या 943045110000668 में 15,00,000/– रुपये की सावधि जमा राशि जमा थी। जब आवेदक ने स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान की उक्त राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधक से मुलाकात की, तो बैंक प्रबंधक ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया ताकि राशि उनके पक्ष में वितरित की जा सके। इस प्रकार आवेदन दायर किया गया, जिसे उत्तराधिकार मामला संख्या 9/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. संबंधित विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अनावेदक संख्या 3 राहुल ध्रुवे ने आवेदक, उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दायर उत्तराधिकार मामले पर आपत्ति जताते हुए जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान के पति की मृत्यु के बाद सामाजिक तलाक के कारण वह अपने वैवाहिक घर से बाहर हो गई थीं और अनावेदक संख्या 3 को खाता संख्या 943045110000668 में नामांकित किया गया है, जिसमें 15,00,000 रुपये जमा हैं।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के कथनों के आधार पर इस प्रकरण में विवाद्यक निर्धारित किए हैं और साक्ष्य लिए हैं, और पक्षकारों के साक्ष्य लेने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि है कि आवेदक और उत्तरवादी संख्या 3 दोनों 15,00,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति तर्कसंगत प्रतीत होती है और इसलिए, लल्लाराम के दावे को खारिज करते हुए, खाता संख्या 943045110000668 में जमा की गई राशि... 15,00,000/– रुपये की राशि अनावेदक संख्या 3 को भुगतान करने के लिए बाध्य मानी गई है। दिनांक 10.9.2024 के उक्त आदेश से व्यथित होकर लल्लाराम ने अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक उत्तरवादी संख्या 3 के दावे का संबंध है, केवल नामांकित व्यक्ति के आधार पर ही वह स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

7. वर्तमान मामले में लल्लाराम, स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान के निकट संबंधी हैं, अतः वे स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान की संपत्ति के हकदार हैं।

8. विचारण न्यायालय ने स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान द्वारा नामित व्यक्ति के आधार पर यह निर्णय देकर विधिगत त्रुटि की है कि अनावेदक संख्या 3 उक्त संपत्ति का हकदार है।

9. नामित व्यक्ति केवल संबंधित पक्ष द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उनका उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है; वे केवल उक्त संपत्ति के संरक्षक हैं।

10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रधान जिला न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा दिनांक 4.11.2024 को पारित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार करते हुए विधि की त्रुटि की है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह यह अभिनिर्धारित किया है कि जिसे नामित किया गया है, वह संबंधित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का हकदार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक बार किसी व्यक्ति को मृतक खाताधारक द्वारा जमा की गई किसी राशि का नामित कर दिया जाता है, तो उस राशि की संपत्ति निश्चित रूप से नामित व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित हो जाएगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि नामित व्यक्ति हकदार नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति द्वारा नामांकन करने का कोई अर्थ नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि किसी व्यक्ति का नामित व्यक्ति होने से उसे उक्त संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। उनका यह भी कहना है कि नामित व्यक्ति को संपत्ति का संरक्षक बनाया गया है, वे केवल संरक्षक हैं और उक्त संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मृतक रंजना देवी प्रधान हिंदू थीं और इसलिए उनके मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होगा। उनका यह भी कहना है कि चूंकि मृतक की कोई संतान नहीं थी और लल्लाराम स्वर्गीय रंजना देवी प्रधान के ससुर थे, इसलिए उन्हें विधिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि वे मृतक के ससुर होने के नाते दावा कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी संख्या 3 केवल संपत्ति का संरक्षक है, वह उसका वैध स्वामी नहीं है।संरक्षकों को संपत्ति का स्वामी या हकदार नहीं माना जा

सकता है। उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शक्ति येज़दानी बनाम जयानंद जयंत सालगांवकर मामले** में उपरोक्त पहलू पर दिए गए निर्णय पर भी विचार किया है, जो **2016 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 9834** में प्रकाशित हुआ है और जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:–

34. विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नामांकन संबंधी प्रावधानों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार व्याख्या की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नामांकित व्यक्ति को अपने जीवनकाल में नामांकन का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और वह अपना हित नामांकित व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं करता है। यह हमेशा माना गया है कि नामांकन वसीयती या गैर–वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित विधि को निरस्त नहीं करता है। नामांकन संबंधी प्रावधान यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं कि मृतक की संपत्ति या नामांकन के विषय वस्तु के अधिकार तब तक सुरक्षित रहें जब तक मृतक के कानूनी प्रतिनिधि उचित कदम नहीं उठाते। नामांकन संबंधी उपरोक्त कानूनों में से कोई भी प्रावधान वसीयती या गैर–वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, विधायी प्रावधान नामांकन के विषय वस्तु संपत्ति से संबंधित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नामांकन संबंधी उपरोक्त कानूनों में से कोई भी प्रावधान वसीयती या गैर–वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, विधायी मंशा किसी तीसरे प्रकार के उत्तराधिकार का प्रावधान करना नहीं है। **सरबती देवी बनाम उषा देवी (1984) 55 सी–सी 214 (एससी); एआईआर 1984 एससी 346** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 5 में कहा है (55 सी–सी के पृष्ठ 218 पर):

परंतु धारा 39 के सुसंगत प्रावधानों का उपरोक्त सारांश स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि पॉलिसीधारक अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी में अपना हित बनाए रखता है और पॉलिसीधारक के जीवनकाल के दौरान नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी में किसी भी प्रकार का हित प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसा है, तो पॉलिसीधारक की मृत्यु पर, पॉलिसी के तहत देय राशि उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है, जो उस पर लागू उत्तराधिकार कानून द्वारा शासित होती है। ऐसा उत्तराधिकार वसीयतनामा या बिना वसीयतनामा के हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के श्रीमती उमा सहगल बनाम द्वारका दास सहगल, आईएलआर 1981 दिल्ली 315: एआईआर 1982 दिल्ली 36: [1983] 54 कंप केस 842 (दिल्ली) के निर्णय के कंडिका 16 में जिस प्रकार के उत्तराधिकार को 'वैधानिक वसीयत' कहा गया है, उसके लिए कोई औचित्य नहीं है। यदि अधिनियम की धारा 39 की तुलना अधिनियम की धारा 38 से की जाए, जो किसी पॉलिसी के अंतर्गत अधिकारों के हस्तांतरण या आवंटन का

प्रावधान करती है, तो नामांकित व्यक्ति के अधिकार का अनिश्चित स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अधिनियम की धारा 39 को उत्तराधिकार के तीसरे तरीके के रूप में लागू करने का आशय था।धारा 39 की उपधारा (6) में दिया गया प्रावधान, जिसमें कहा गया है कि राशि नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि राशि नामित व्यक्ति या व्यक्तियों की होगी।हमें यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विधिऔर न्यायिक मिसालें वसीयत के निष्पादनऔर प्रमाण के मामले में विशेष सावधानी बरतती हैं, जिनका प्रभाव संपत्ति को बिना वसीयत के उत्तराधिकार के सामान्य क्रम से विचलित करने का होता है।और यह भी कि वसीयतनामा उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले नियमों की कठोरता में कोई ढील नहीं दी जाती है, भले ही वसीयत पंजीकृत हो। (जोर दिया गया)

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य न तो उत्तराधिकार का कोई तरीका बताना है और न ही उत्तराधिकार से संबंधित कोई कार्य करना है। धारा 109ए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक शेयरधारक का प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए, क्योंकि शेयरों का मूल्य बाजार की शक्तियों के अधीन होता है। शेयरधारकों को कई लाभ मिलते रहते हैं, उदाहरण के लिए, बोनस शेयरों का आवंटन। कंपनियों की आम बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें शेयरधारक का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यह प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि कानूनी वारिसों द्वारा उत्तराधिकार के अधिकार स्थापित करने और कंपनी के शेयरों पर दावा करने में देरी के कारण व्यापार को कोई नुकसान न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने शक्ति **येज़दानी और अन्य बनाम जयानंद जयंत सालगांवकर और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए **निर्णय(2024) 4 एससीसी 642** पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:–

40. पूर्व निर्णयों की एक ज्ञानवर्धक सूची में, इस न्यायालय के साथ–साथ कई उच्च न्यायालयों ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जीवन बीमा अधिनियम, 1939 (क्वेरे बीमा अधिनियम, 1938) और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 जैसे कानूनों के तहत "नामांकन" की अवधारणा से निराकरण किया गया है। इन कानूनों के संदर्भ में नामांकन पर न्यायालय ने जो कहा है, उसका उल्लेख करना उचित होगा:

विधिक निर्णय :––	अभिनिर्धारित किया गया :––

सरबती देवी बनाम उषा देवी	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के तहत नामांकन, बीमाधारक के उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार कानून के तहत दावे के अधीन है।
नोज़र गुस्ताद कमिश्रिएट बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 10(2) के अंतर्गत नामांकन किसी गैर-पारिवारिक व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। सरबती देवी के मामले पर भरोसा करते हुएयह कहा गया कि उसमें वर्णित सिद्धांत कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पर भी लागू होते हैं और केवल बीमा अधिनियम तक ही सीमित नहीं हैं।
विशिन एन खानचंदानी बनाम विद्या लछमनदास खानचंदानी	नामांकित व्यक्ति सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के तहत बचत प्रमाणपत्र पर देय राशि प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता। वास्तव में, नामांकित व्यक्ति इसे संबंधित उत्तराधिकार कानून के तहत इसके हकदार लोगों के लिए अपने पास रख सकता है।
राम चंदर तलवार बनाम देवेन्द्र कुमार तलवार	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-जेडए के प्रावधानों के तहत किया गया नामांकन जमाकर्ता की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को जमा राशि प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. विभिन्न विधिक के अंतर्गत नामांकन संबंधी प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालयों द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया प्रतीत होता है। संदर्भित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार किए गए नामांकन से नामांकित व्यक्ति को उस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए नामांकन किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के नामांकन से उत्तराधिकार की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। अतः नामांकन के कारण विधिक वारिसों को बाहर नहीं किया गया है।

42. तीन तत्वों की उपस्थिति, अर्थात् "निहित" शब्द, अन्य को बाहर करने का प्रावधान और साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109-ए के तहत एक गैर-बाधा खंड, ने हमें नामांकन के संबंध में की जाने वाली व्याख्या में किसी भी भिन्न तरीके से प्रेरित नहीं किया है। नामांकन से संबंधित प्रावधानों वाले विभिन्न विधि, जिन

पर पहले न्यायालयों में निर्णय लिया जा चुका है, उनमें प्रयुक्त भाषा या निहित प्रावधानों के संबंध में बहुत कम या कोई समानता नहीं है। जबकि सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 में एक गैर–बाधा खंड है, बीमा अधिनियम, 1939 और सहकारी समितियां अधिनियम, 1912 में ऐसा खंड नहीं है।

43. इसी प्रकार, कुछ विधिक (कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952) में "स्वामित्व" शब्द की उपस्थिति और अन्य कानूनों (बीमा अधिनियम, 1939, सहकारी समितियां अधिनियम, 1912) में इसकी अनुपस्थिति के संबंध में भी भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं को देखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "नामित व्यक्ति" के अधिकारों और/या क्या ऐसा "नामांकन" नामांकित व्यक्तियों को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है, से संबंधित कोई एकसमान परिभाषा उपलब्ध नहीं है, यह उचित ही है कि नामांकन करने वाले किसी भी समझदार व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्तियों के संबंध में सामान्य रूप से समझे जाने वाले अर्थों में इन शब्दों पर विचार किया जाए। एक युक्तियुक्त व्यक्ति,अपनी संपत्ति के निराकरण की व्यवस्था करते समय,इस बात का ध्यान रखेगा कि वह नामांकन करते समय,नामांकन के प्रभाव की व्याख्या को ध्यान में रखे,जैसा कि न्यायालयों द्वारा कई वर्षों से लगातार दिया जा रहा है।यदि नामांकन की अवधारणा की व्याख्या स्थापित तरीके से हटकर की जाती है,तो हमारे विचार में,इसके गंभीर परिणाम होंगे और मृत नामांकित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के निराकरण पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस संबंध में कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार सुस्थापित है, जिसके अनुसार एक महिला की संपत्ति निकट संबंधियों को हस्तांतरित हो जाएगी। उक्त लल्लाराम, मृतक रंजना देवी प्रधान के ससुर होने के नाते, अपीलीय न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

14. दोनों विचारण न्यायालय के समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं रहा है कि लल्लाराम, मृतक रंजना देवी प्रधान के ससुर नहीं हैं।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह स्पष्ट किया है कि नामांकन मात्र से किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता, अतः यह आदेश उचित है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

16. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

17. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि लल्लाराम, मृतक रंजना देवी प्रधान के ससुर हैं। मृतक रंजना देवी प्रधान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं और उनके खाते में ब्याज सहित 15,00,000 रुपये जमा थे। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 15 (1) (ख) के अनुसार संपत्ति निकट संबंधियों को, अर्थात् पति के उत्तराधिकारियों को, हस्तांतरित होनी चाहिए। अतः अपीलीय न्यायालय ने इस पहलू पर उचित विचार किया है और यह माना है कि मृतक के ससुर होने के नाते लल्लाराम को 15,00,000 रुपये की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना उचित है।

18. पुनरीक्षण न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या न्यायालय द्वारा कोई अवैधता/विकृति की गई है या नहीं?

19. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय की राय है किअपीलीय न्यायालय द्वारा लल्लाराम के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में कोई अवैधता/विकृति नहीं की गई है, अतः आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

20. अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों के साक्ष्यों और दस्तावेजों पर सही ढंग से विचार किया है, जिनमें पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः कोई अवैधता/विकृति नहीं हुई है।

21. अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है और अतः आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है, और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
अमितेन्द्र किशोर प्रसाद,
न्यायाधीश

निर्णय सुरक्षित किया गया :15.09.2025	निर्णय पारित किया गयाः 19.11.2025	निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया 19.11.2025

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur